

Handwritten signature and notes in red ink: "Jotter uploaded 13/02/2018"

शुभमिडल दस्तावेजारी लिस्टिंग

कार्य सं. ११५
 दिनांक १३/०२/२०१८

[बोर्ड के अधिसूचना सं. ४११६ बी० ता० १२-०-११ में अनुमोदित]

[(प्राची) एवं से. उच्चश्रीम]

संयुक्त मुख्य-गृह और पलायन ।
 (वि. वि. सं. १३३ अतिरिक्त दिनांक १२.११)
 विभाग
 दिनांक २४/२०१५-१६

जोड़ के लिए

आयुक्तमाल सिंह

क्या

क्र. सं.	नाम का वर्ण	दिनांक	पत्नी की संख्या	संख्या	प्राप्त की संख्या	अनुमति
27-8-15		21/2/22				
		9/1/22	15-5-9		25-6-17	
		24/1/23	3-7-15		26-7-17	
					23-8-17	
		28-8-17			4-10-17	
		23-10-19			8-11-17	
		28-1-20			20-12-17	
		4-3-21			7-2-18	
		10/3/2021			7-3-18	
		2-6-2021			11-4-18	
		25/08/2021				
		13/11/2021				
		21/02/22			23-5-18	
		11-03-2022			4-7-18	
		12/4/22				
		24/6/22			5-10-18	
		15/7/22				
		16-8-22			2-1-19	
		20/3/22				
		21/10/22			6-2-19	

आदेश-पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हरतक)

आदेश पत्रक-ता०.....सेतक जोन केरकेडा

जिला-सिमडेगा, संख्या. SAR 24/2015-16

केस का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

यनाम

भामूलाल सिंह

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई

27-8-2015

श्री.....जोन केरकेडा.....
पिता.....एन. जिनतीना केरकेडा.....
साकिन.....सलडेगा पाहन टोली.....थाना.....सिमडेगा.....
जिला-सिमडेगा ने आवदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित
जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी.....भामूलाल सिंह
दिला सं० रधुनन्दन सिंह

24.5.17

21.6.17

साकिन-सलडेगा पाहन टोली थाना.....सिमडेगा

जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार
अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का
अनुरोध करते हैं।

ग्राम
सलडेगा

खाता सं०-
92

प्लॉट सं०
1397

रकबा
0.92 रकबा
में सं 0.05 रकबा

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक.....16-9-2015

को उपस्थापित करें।

Dle
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं०-एस०ए०आर० 24/2015-16

दिनांक.....

जोन केरकेट्टा

बनाम

अमृत सिंह

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जोन केरकेट्टा, पिता-स्व० अन्तोनी केरकेट्टा, साकिन-सलडेगा पाहनटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी अमृतलाल सिंह, पिता-स्व० रघुनन्दन सिंह, साकिन-सलडेगा पाहनटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद सं०-24/2015-16 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
सलडेगा	92	1397	0.92 एकड़ में से 0.05 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक-361/विधि, दिनांक 28.08.2015, पत्रांक-220/विधि, दिनांक 25.05.2017 एवं पत्रांक-334/विधि, दिनांक 28.07.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक-878(ii), दिनांक 20.08.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, सिमडेगा द्वारा बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है जो निम्नवत है:-

1. विपक्षी को प्रश्नगत भूमि ग्राम-सलडेगा, थाना नं०-117, खाता नं०-92, प्लॉट नं०-1397, रकबा-0.03 एकड़ भूमि पर घर बाड़ी बनाकर कब्जा है।
2. विपक्षी का 0.03 एकड़ भूमि पर वर्ष-2003-04 से कब्जा है।
3. (क) वर्ष-2004 से कच्चा मकान है। 0.03 एकड़ भूमि पर।
(ख) अनुमानित मूल्य:- 120000/- (एक लाख बीस हजार रुपये)
(ग) नहीं।
4. हानुक पाहन वल्द वाघु पाहन कौम खड़िया सा०देह।
5. पंजी II रैयत सुरेश केरकेट्टा, पिता-जोसेफ वो अनिल वो अंतोनी पेशरान पौलुस केरकेट्टा।
6. भूमि की चौहद्दी:- उ०-रामलाल साहु का मकान
द०- जोन केरकेट्टा
पू०- उसी प्लॉट का अंश
प०- रास्ता

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है।

२

कृ०पृ०उ०

दिनांक 11.04.2018 से 04.07.2018 तक तथा 04.03.2020 से 20.09.2022 तक अनुपस्थित रहे। उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद सं०-24/2015-16 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल प्रदाधिकारी
सिमडेगा।


अनुमण्डल प्रदाधिकारी
सिमडेगा।